# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 08 ] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01**

गुरुवार,

23 फरवरी 2017

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.52 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**
**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष:** राम-राम साहब। नमस्कार, नमस्कार।

## राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव।

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

### राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

**सचिव:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

**(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज़ पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है;

### राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016,

(सचिव)

2. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016, व

3. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 ।

**श्री अध्यक्षः** अध्यादेश। श्री अरुण चतुर्वेदी।

## अध्यादेश

### राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-3) सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्षः** डा. जसवंत सिंह यादव।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

### भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016

1. भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-4); एवं

### राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017

2. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-1)

**श्री अध्यक्षः** सदस्य का स्थान रिक्त होने की सूचना।

## घोषणा/सदस्य की सदस्यता की समाप्ति

### बी.एल. कुशवाह, श्री, की न्यायिक प्रक्रिया पश्चात् दोषसिद्धि पर सदस्यता की समाप्ति व धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र रिक्त होने की सूचना

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-36/2014 सरकार बनाम सत्येन्द्र वगैरह में श्री बी.एल. कुशवाह, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-79 धौलपुर, जिला धौलपुर से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

परिणामस्वरूप श्री बी.एल. कुशवाह निर्वाचन क्षेत्र-79 धौलपुर, जिला-धौलपुर से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य को दोषसिद्धि की तिथि 8 दिसम्बर, 2016 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191/1/ई सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के अन्तर्गत निरहित डिसक्वालिफाई किया जाकर उनकी राजस्थान विधान सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है जिसके कारण राजस्थान विधान सभा में एक स्थान निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-79 धौलपुर, जिला धौलपुर रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 को करवा दिया गया है।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

# विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री कालीचरण सराफ।

## राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती किरण माहेश्वरी।

## निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री श्रीचन्द कृपलानी।

## राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अरुण चतुर्वेदी।

## राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

## शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल एवं पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं

(श्री अध्यक्ष)

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव, जम्मू एवं कश्मीर तथा असम के पूर्व राज्यपाल श्री एस.के. सिन्हा, तमिलनाडु की पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री जे. जयललिता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा, पूर्व सांसद श्री रामदास अग्रवाल, श्री मोहम्मद अयूब खान, पूर्व सांसद एवं विधायक श्री जुझार सिंह तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री तगाराम चौधरी, बन्ने सिंह राठौड़, मोहन लाल मोदी, सालिगराम, थानसिंह मीणा, मदन महाराजा, भवानी सिंह यादव, सांवरमल मोर, रमेश चन्द सैनिक, अमीलाल यादव, लक्ष्मण तानीवाल तथा शिवराम के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

## सुरजीत सिंह बरनाला, श्री, पूर्व राज्यपाल (आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु)

आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 21 अक्टूबर, 1925 को हरियाणा के अटेली बेगपुर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला वर्ष 1967 से 1977 तथा वर्ष 1955 से 1987 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप वर्ष 1985 से 1987 तक पंजाब के मुख्य मंत्री रहे। आप वर्ष 1969 से 1971 तक पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। आप छठी, ग्यारहवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान श्री बरनाला वर्ष 1977 से 1979 तक केन्द्र सरकार में कृषि, खाद्य एवं सिंचाई मंत्रालय के मंत्री रहे तथा मार्च, 1998 में आपको रसायन एवं उर्वरक तथा खाद्य मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया। कुशल प्रशासक रहे श्री बरनाला वर्ष 1990 से 1991 तथा वर्ष 2004 से 2011 तक तमिलनाडु, वर्ष 2000 से 2003 तक उत्तराखण्ड तथा वर्ष 2003 से 2006 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप अप्रैल से जुलाई, 2009 तक पुडुचेरी के प्रशासक भी रहे।

स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय श्री बरनाला की 'स्टोरी आव् एन एस्केप' तथा 'माई अदर टू डाटर्स' शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बरनाला ने वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भाग लिया तथा जेल में रहते हुए 15 पेन्टिंग्स बनायीं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला का दिनांक 14 जनवरी, 2017 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

## रामनरेश यादव, श्री, पूर्व राज्यपाल (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई, 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आंधीपुर ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री राम नरेश यादव सातवीं, नौवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। आप जून, 1977 से फरवरी, 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। मुख्य मंत्री के रूप में आपने प्रदेश के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये। श्री यादव उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री भी रहे। आप छठी लोक सभा में आजमगढ़ से सांसद रहे। आप 1988 में राज्य सभा के लिये भी निर्वाचित हुए। संसद में आप मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, संसदीय सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे। श्री यादव 8 सितम्बर, 2011 से 7 सितम्बर, 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आपके पास 2 जुलाई, 2014 से 25 जुलाई, 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा।

गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित श्री यादव ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अनेक बार जेल यात्राएं भी कीं। मजदूर संगठनों से सम्बद्ध रहे श्री यादव ग्रामीणों तथा मजदूर वर्ग के कल्याण के लिये संघर्षरत रहे। आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे।

श्री राम नरेश यादव का दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## एस.के. सिन्हा, श्री, पूर्व राज्यपाल (जम्मू कश्मीर व असम)

जम्मू-कश्मीर एवं असम के पूर्व राज्यपाल श्री एस.के. सिन्हा का जन्म वर्ष 1926 में हुआ। आपने वर्ष 1943 में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की। आप आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, बेलगाम में ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत भारतीय सेना में भर्ती हुए।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सिन्हा सितम्बर, 1997 से जून, 2003 तक असम तथा जून, 2003 से जून, 2008 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

सैन्य सेवा के दौरान श्री सिन्हा ने प्लाटून से फील्ड आर्मी तक विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दीं तथा अनेक सैन्य आपरेशंस में सक्रिय रूप से भाग लिया। आप मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के निदेशक तथा वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ भी रहे। श्री सिन्हा ने विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। वर्ष 1973 में उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिये आपको 'परम विशिष्ट सेवा मैडल' प्रदान किया गया। आप भारत के राष्ट्रपति के मानद एडीसी तथा नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे।

आपकी 'ए सोल्जर रिकाल्स' (आटोबायोग्राफी) सहित पांच पुस्तकें प्रकाशित हुईं। श्री सिन्हा के लगभग 300 लेख विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए।

श्री एस.के. सिन्हा का दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## जे. जयललिता, सुश्री, पूर्व मुख्य मंत्री (तमिलनाडु)

तमिलनाडु की पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री जे. जयललिता का जन्म 24 फरवरी, 1948 को मैसूर में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1991 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आपको डी.लिट की मानद् उपाधि से सम्मानित किया गया।

सुश्री जे. जयललिता वर्ष 1984 से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुईं। आप आठ बार तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य रहीं। सुश्री जयललिता वर्ष 1991 से 2016 के मध्य पांच बार तमिलनाडु की मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहीं। आपके द्वारा चलायी गई अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओं के कारण आप प्रदेश में 'अम्मा' के नाम से प्रख्यात थीं। आप वर्ष 1989 में तमिलनाडु विधान सभा में पहली बार महिला नेता प्रतिपक्ष बनीं।

आपने 15 वर्ष की आयु से ही फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की तथा लगभग 300 से अधिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिन्दी, अंग्रेजी तथा मलयालम फिल्मों में काम किया। आप भरतनाट्यम सहित अनेक नृत्य शैलियों में प्रवीण थीं। आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की महासचिव रहीं सुश्री जयललिता ने लम्बे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया।

(श्री अध्यक्ष)

आपके चार उपन्यास सहित अनेक आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

सुश्री जे. जयललिता का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## सुन्दर लाल पटवा, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा का जन्म 11 नवम्बर, 1924 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुकड़ेश्वर में हुआ। आपने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री सुन्दर लाल पटवा वर्ष 1957 से 1967, वर्ष 1977 से 1997 तक तथा वर्ष 1998 से 1999 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप जनवरी से फरवरी, 1980 तथा मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। श्री पटवा मध्य प्रदेश विधान सभा में वर्ष 1957 से 1967 तक प्रतिपक्ष के सचेतक तथा वर्ष 1980 से 1985 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ग्यारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे श्री पटवा अक्टूबर, 1999 से सितम्बर, 2001 तक केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास, रसायन एवं उर्वरक तथा खान मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे।

वर्ष 1941 में इन्दौर राज्य प्रजामण्डल से जुड़े श्री पटवा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक आन्दोलनों में भाग लिया तथा जेल यात्राएं कीं। आप जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन तथा राज्य सहकारी बैंक के निदेशक रहे। श्री पटवा को वर्ष 1989 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 'विधान गौरव' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री सुन्दर लाल पटवा का दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## रामदास अग्रवाल, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री रामदास अग्रवाल का जन्म 17 मार्च, 1937 को जयपुर में हुआ। आपने इण्टरमीडिएट तथा हिन्दी विशारद् की उपाधि प्राप्त की।

श्री रामदास अग्रवाल वर्ष 1990, 1996 तथा 2006 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, उद्योग

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्धी समिति तथा विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। आप उद्योग सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री अग्रवाल पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अग्रवाल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सहित अनेक वाणिज्यिक संस्थानों एवं व्यापार मण्डलों से सम्बद्ध रहे। आप रोटरी क्लब, भद्रक के प्रेसीडेण्ट भी रहे।

श्री रामदास अग्रवाल का दिनांक 25 जनवरी, 2017 को निधन हो गया।

## मोहम्मद अयूब खान, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री मोहम्मद अयूब खान का जन्म 23 जून, 1932 को झुन्झुनूं जिले के नुआं ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहम्मद अयूब खान आठवीं तथा दसवीं लोक सभा में झुन्झुनूं निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप सितम्बर, 1995 से मई, 1996 तक केन्द्र सरकार में कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे।

लगभग 20 वर्षों से अधिक अवधि तक सैन्य सेवा में रहे श्री खान को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1965 में 'वीर चक्र' एवं 'समर सेवा स्टार' तथा 1971 में 'पश्चिमी स्टार' से सम्मानित किया गया। आपको सेना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संग्राम मैडल, सैन्य सेवा मैडल सहित अनेक अलंकरणों से भी विभूषित किया गया। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री खान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे।

श्री मोहम्मद अयूब खान का दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## जुझार सिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री जुझार सिंह का जन्म 26 जनवरी, 1920 को कोटा जिले के कुराड़िया ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जुझार सिंह पहली, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी एवं पाँचवीं विधान सभा में कांग्रेस तथा चौथी विधान सभा में भारतीय क्रान्ति दल के विधायक रहे। श्री जुझार सिंह तीसरी विधान सभा के लिए चेचट तथा चौथी एवं पांचवीं विधान सभा के लिए रामगंजमण्डी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1972 से 1977 तक भाषा, शिक्षा, खनिज, वित्त, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा यातायात विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास अनेक विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। आप आठवीं लोक सभा में झालावाड़ से कांग्रेस के सांसद भी रहे।

श्री जुझार सिंह वर्ष 1942 से 1955 तक हिज हाइनेस, कोटा के ए.डी.सी. रहे। आप कृषक समाज, झालावाड़ के संयोजक तथा आल इण्डिया फार्मर्स फोरम के सदस्य रहे।

श्री जुझार सिंह का दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## तगाराम चौधरी, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री तगाराम चौधरी का जन्म 7 फरवरी, 1933 को बाड़मेर जिले की बायतू तहसील की निम्बाणियों की ढाणी में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री तगाराम चौधरी बारहवीं विधान सभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सहकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में बाड़मेर की कानाना ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, ग्राम पंचायत कवास के उप सरपंच, ग्राम पंचायत माडपुरा के तीन बार सरपंच तथा बायतू पंचायत समिति के उप प्रधान तथा दो बार प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, लाडपुरा; क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बायतू तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक, बाड़मेर के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौधरी अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप भाजपा, बायतू के मण्डल अध्यक्ष भी रहे।

श्री तगाराम चौधरी का दिनांक 23 जनवरी, 2017 को निधन हो गया।

## बन्ने सिंह राठौड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री बन्ने सिंह राठौड़ का जन्म 17 जुलाई, 1935 को

(श्री अध्यक्ष)

जोधपुर जिले के बाराखुर्द ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बन्ने सिंह राठौड़ बारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए ओसियां निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति तथा पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे।

श्री बन्ने सिंह राठौड़ का दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## मोहन लाल मोदी, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मोहन लाल मोदी का जन्म 12 अक्टूबर, 1924 को सीकर जिले के नीमकाथाना में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहन लाल मोदी चौथी, सातवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं राजस्थान विधान सभा के लिए नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप सातवीं विधान सभा में निर्दलीय तथा चौथी, दसवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

श्री मोदी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1961 में नगरपालिका, नीमकाथाना के सदस्य रहे। आप राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मोदी ने पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप जयपुर रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री मोहन लाल मोदी का दिनांक 7 फरवरी, 2017 को निधन हो गया।

## सालिगराम, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सालिगराम का जन्म 01 अगस्त, 1917 को धौलपुर जिले के गंवर ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सालिगराम छठी तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप छठी विधान सभा में बाड़ी तथा नौवीं विधान सभा में

(श्री अध्यक्ष)

बयाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री सालिगराम अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति, बाड़ी के प्रधान रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सालिगराम प्रदेश की गुर्जर महासभा के उपाध्यक्ष तथा शांति मिशन के अध्यक्ष रहे। आप भूतपूर्व सैनिक संघ, धौलपुर के सदस्य भी रहे।

श्री सालिगराम का दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## थानसिंह मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री थानसिंह मीणा का जन्म दिनांक 30 जुलाई, 1946 को सराड़ा तहसील के कन्तोड़ा ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएलबी की उपधियां प्राप्त कीं।

श्री थानसिंह मीणा सातवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति तथा पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धि एवं उपयोग के संबंध में गठित समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक संसदीय सचिव भी रहे।

श्री मीणा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1985 में उदयपुर के उप जिला प्रमुख तथा बाद में जिला प्रमुख बने। जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे श्री मीणा जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति तथा आदिवासी समाज सुधार समिति के अध्यक्ष रहे। आप जनजाति बोर्ड के सदस्य भी रहे।

श्री थानसिंह मीणा का दिनांक 04 अगस्त, 2016 को निधन हो गया।

## मदन महाराजा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मदन महाराजा का जन्म 20 अगस्त, 1948 को कोटा में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मदन महाराजा आठवीं राजस्थान विधान सभा में अटरू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मदन महाराजा पार्टी के अनूसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे।

श्री मदन महाराजा का दिनांक 12 फरवरी, 2017 को निधन हो गया।

## भवानी सिंह यादव, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री भवानी सिंह यादव का जन्म अक्टूबर, 1942 को गाडोज ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भवानी सिंह यादव छठी राजस्थान विधान सभा के बहरोड़ से जनता पार्टी के विधायक रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री यादव आर्य सभा के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपने वर्ष 1959 से 1967 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दीं। विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले श्री यादव ने जेल यात्रा भी की।

श्री भवानी सिंह यादव का दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया।

## सांवरमल मोर, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सांवरमल मोर का जन्म सीकर में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सांवरमल मोर पांचवी राजस्थान विधान सभा में श्रीमाधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री सांवरमल मोर अपने सार्वजनिक जीवन में चार वर्ष तक पंचायत समिति के उप प्रधान एवं प्रधान रहे। आप वर्ष 1944 में स्थानीय प्रजामण्डल के मंत्री भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मोर पार्टी की जिला इकाई के मंत्री तथा अध्यक्ष सहित कई पदों पर रहे। आप जिला जल बोर्ड के मंत्री तथा जिला उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मोर अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक रहे।

श्री सांवरमल मोर का दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

## रमेश चन्द्र सैनिक, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रमेश चन्द्र सैनिक का जन्म दिनांक 01 मार्च, 1932 को बूंदी जिले के उमर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री रमेश चन्द्र सैनिक पांचवीं राजस्थान विधान सभा में हिंडौली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

वर्ष 1952 में सैन्य सेवा में सवार के रूप में भर्ती हुए श्री रमेश चन्द्र सैनिक ने सेना में ए.एल.डी. तथा सार्जेंट पदों पर भी अपनी सेवाएं दीं। आपने वर्ष 1961 में गोवा मुक्ति युद्ध, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री रमेश चन्द्र सैनिक का दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

## अमीलाल यादव, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री अमीलाल यादव का जन्म 29 अगस्त, 1929 को अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे के भाजरा ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एलएलबी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री अमीलाल यादव चौथी राजस्थान विधान सभा में बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे।

श्री यादव अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1959 से 1967 तक पंचायत समिति नीमराणा के प्रधान रहे। आप किसान सभा, अलवर के सदस्य भी रहे। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री यादव ग्रामवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक उत्थान हेतु प्रयासरत रहे।

श्री अमीलाल यादव का दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

## लक्ष्मण तानीवाल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तानीवाल का जन्म 3 जुलाई, 1941 को झालावाड़ में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री लक्ष्मण तानीवाल चौथी राजस्थान विधान सभा में डग निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के सदस्य रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री तानीवाल ने

(श्री अध्यक्ष)

समाज में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में आपकी कविताएं भी प्रकाशित हुईं।

श्री लक्ष्मण तानीवाल का दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

## शिवराम, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री शिवराम का जन्म 4 अगस्त, 1935 को सवाई माधोपुर जिले की टोडाभीम तहसील के गोपालपुरा ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री शिवराम तीसरी राजस्थान विधान सभा में महवा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शिवराम वर्ष 1960 में टोडाभीम पंचायत समिति के सदस्य रहे।

श्री शिवराम का दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

## इन्दौर-पटना एक्सप्रेस एवं जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखण्ड एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के मृतक

दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को कानपुर के पास इन्दौर-पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गये। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा अनेक यात्री घायल हो गए। एक अन्य रेल दुर्घटना में दिनांक 21 जनवरी, 2017 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम् जिले के कुनेरू स्टेशन के समीप जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखण्ड एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण लगभग 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 65 से अधिक लोग घायल हो गए।

## पटना में गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना के मृतक

दिनांक 14 जनवरी, 2017 को पटना के एनआईटी घाट के पास गंगा

(श्री अध्यक्ष)

नदी में यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव के उलट जाने से 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

## जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में शहीद सैनिक

दिनांक 25 जनवरी, 2017 को जम्मू कश्मीर में गुरेज और सोनमर्ग के काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद हुए हिमस्खलन में सेना के 16 जवानों सहित 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मैं इन दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों और शहीद हुए सैनिकों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

**(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)**

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2017 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 12.30 बजे सोमवार, 27 फरवरी 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

# परिशिष्ट

## माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं और प्रदेशवासियों को प्रदेश के निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बधाई देता हूं। हमारे प्रदेशवासी इस उन्नति के सच्चे हकदार भी हैं।

2. मुझे विश्वास है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए जाने वाले गहन चिंतन और विचार-विमर्श से प्रदेश की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए किये जा रहे कार्यों को और गति मिलेगी।

3. राजस्थान इन्द्रधनुषी संस्कृति वाला प्रदेश है। हमारी संस्कृति सम्पूर्ण विश्व में आकर्षण का केन्द्र रही है। अभावों तथा विपरीत परिस्थितियों में भी हमनें अपनी आन-बान-शान को सदैव बनाये रखा। आज राजस्थान विकास की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में किये जा रहे विभिन्न नवाचारों से हमें नई पहचान मिली है। "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया" का सूत्र लेकर हम राज्य के सभी तबकों का समान विकास करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमारी योजनाएं और कार्यक्रम इसके प्रमाण हैं।

4. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नई अर्थव्यवस्था की ओर करवट ले रहा है एवं भारत विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अभूतपूर्व प्रयास से देश में सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था में शासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ और सहभागितापूर्ण बनाने की क्षमता है। डिजिटल क्रान्ति के माध्यम से आम नागरिकों को वित्तीय समावेशन से जोड़ने के केन्द्र के प्रयासों को राज्य सरकार भी निरन्तर आगे बढ़ा रही है।

5. प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों से रिश्ते सुधारने के साथ ही भारतीय गौरव को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब दुनिया भारत को नई उम्मीद के साथ देखने लगी है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध

बेहतर बनाने के प्रयासों के साथ ही सीमा पार आतंकवाद का सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है।

6. इस वर्ष का केन्द्रीय बजट गांव और गरीब को समर्पित है। यह भविष्योन्मुखी बजट देश के सर्वांगीण विकास के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं, महिलाओं और किसानों में खुशहाली लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

7. राज्य सरकार भी विगत 3 वर्ष से प्रदेश में खुशहाली सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास कर रही है। प्रदेश में लोक कल्याण और लोक सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से हर वर्ग तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

8. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में "सुराज के संकल्प" को पूरा करने के प्रयासों के साथ ही राज्य में उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करते हुए कई नवाचार किये गए हैं जिनके ठोस परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

9. राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना में 99 हजार 693 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जो वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना की तुलना में 39.62 प्रतिशत अधिक है।

10. खुशहाल राजस्थान के नारे को मूर्त रूप देने में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। सीधे लाभ हस्तान्तरण की अद्वितीय 'भामाशाह योजना' का प्रभावी क्रियान्वयन कर राज्य में 31 जनवरी, 2017 तक कुल 1 करोड़ 36 लाख परिवारों के लगभग 4 करोड़ 92 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। योजना से 16 करोड़ ट्रांजेक्सन तथा विभिन्न योजनाओं की 5 हजार 542 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हो रही प्रदेश की 67 प्रतिशत आबादी को 30 हजार से 3 लाख रुपये तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 दिसम्बर, 2015 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी। प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली देश की सबसे कम्प्रेहेन्सिव हैल्थ इंश्योंरेस स्कीम में सर्वाधिक 1715 पैकेज उपलब्ध कराये गये हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 17 फरवरी, 2017 तक 397 करोड़ से अधिक राशि से लगभग 8 लाख पात्र व्यक्तियों को कैशलेस इंडोर उपचार सुविधाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना से बायपास सर्जरी, हार्ट वाल्व रिपेयर, एंजियोप्लास्टी, जन्मजात हृदय विकार, कैंसर, ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, यूरोलॉजी में डायलिसिस, किडनी एवं ब्लेडर संबंधी रोगों, फेफड़ों की सर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी जैसी गम्भीर बीमारियों के लिए भी मरीजों का कैशलेस इंडोर उपचार किया जा रहा है।

12. उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिये राज्य में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के हर गांव की भागीदारी रखते हुये लगभग 58 हजार किसानों ने भाग लिया। ग्राम में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 38 निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ 4400 करोड़ रुपये के निवेश हेतु एमओयू किये गये।

13. प्रदेश में सीमित जल संसाधन और वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए जल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के लगभग 21 हजार गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं एवं जलाशयों के नजदीक 26 लाख पौधे लगाये गए हैं। अभियान का द्वितीय चरण 9 दिसम्बर, 2016 से आरम्भ कर 1843 करोड़ रुपये की लागत के 4 हजार 200 गांवों में 1 लाख 37 हजार कार्य करवाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

14. जल के समुचित उपयोग हेतु फोर वाटर कान्सेप्ट परियोजना पर इस वर्ष में जनवरी, 2017 तक लगभग 157 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं।
15. प्रदेश में स्थायी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सुशासन देकर जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए 'आपका जिला-आपकी सरकार' जैसे अभिनव कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।
16. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल द्वारा 9 लाख से अधिक जन अभाव अभियोग प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
17. 'राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार' के अन्तर्गत वर्ष 2016 के दौरान 48 लाख 46 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का काश्तकारों एवं ग्रामीणों के हित में निस्तारण किया है। इस दौरान विशेष प्रयास कर 523 ग्राम पंचायतों को पूर्णतः वाद मुक्त किया गया।
18. ग्रामीण जनता की पंचायत स्तरीय समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के लिए अक्टूबर, 2016 से प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को "पं. दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर" आयोजित किये जा रहे हैं। इन शिविरों में 17 विभागों से सम्बन्धित जन कल्याणकारी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। अब तक कुल 9 हजार 107 शिविर आयोजित हो चुके हैं।
19. वर्तमान में 5 हजार से अधिक अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त मल्टीब्राण्ड वस्तुएं एक ही स्थान पर किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की 25 हजार 691 उचित मूल्य की दुकानों में से 24 हजार 741 पर पोस मशीनें स्थापित कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण!

20. राज्य के सभी जिलों में रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण के साथ आई.टी.आई, रोजगार मेलों, स्वरोजगार एवं उद्यमिता आदि के माध्यम से विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में लगभग 11 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 325 रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया है।

21. कौशल विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए देश का पहला राजकीय कौशल विश्वविद्यालय, "राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी" तथा निजी क्षेत्र में राज्य की प्रथम "भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी" की स्थापना करने का नीतिगत निर्णय लिया है। पर्यटन के क्षेत्र में उच्च स्तर के कौशल विकास हेतु सिंगापुर सरकार के सहयोग से उदयपुर में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार टयूरिज्म ट्रेनिंग" की स्थापना की गई है।

22. राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल, 2016 से अकुशल, अर्ध्दकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 201, 211, 221 व 271 रुपये प्रतिदिन की गई है। इस वर्ष जनवरी, 2017 तक 5 लाख 20 हजार 588 भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों का पंजीकरण किया गया तथा 177 करोड़ रुपये व्यय कर 46 हजार 224 हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

23. रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 के आयोजन के दौरान हस्ताक्षरित सहमति-पत्रों में से अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं तथा अन्य योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय विभागों, सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विण्ड पावर प्रोजेक्ट, बायोमास, बायोफ्यूल, इण्डस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक इकाइयों तथा होटल को 17 हजार 40 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है।

24. राज्य में औद्योगिक विकास एवं अधिकाधिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए "ईज आफ डूइंग बिजनेस" की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। स्टार्टअप नीति, 2015 के अन्तर्गत जयपुर व उदयपुर में 'स्टार्टअप उत्सव' का आयोजन किया गया।

25. रीको द्वारा वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 1 हजार 677 एकड़ भूमि अवाप्त कर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर लगभग 584 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं।

26. राज्य के सभी जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास हेतु स्वघोषणा से उद्योग आधार मेमोरण्डम पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में

जनवरी, 2017 तक 71 हजार 525 औद्योगिक इकाइयों का उद्योग आधार मेमोरण्डम पोर्टल पर पंजीयन किया गया। इन इकाइयों में 11 हजार 763 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

27. प्रदेश में पहली बार खनिज सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के 3 ब्लाक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिले के एक व नागौर जिले के 2 ब्लाक की नीलामी से 17 हजार 328 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति सम्भावित है।

28. राजस्थान बाम्बे हाई के बाद देश में दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 90 लाख टन वार्षिक खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है जो देश के खनिज तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत है। अब तक खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन से राज्य को लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। राज्य में शहरी गैस वितरण नेटवर्क, हाइड्रोकार्बन की खोज एवं पेट्रो उत्पादन विपणन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है।

29. केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बीकानेर क्षेत्र का सामरिक खनिज तेल संग्रहण हेतु चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत बीकानेर क्षेत्र में लगभग 37 लाख 50 हजार टन खनिज तेल का संग्रहण किया जायेगा। सामरिक दृष्टि से आपात परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

30. अवैध खनन पर अंकुश लगाने एवं कृषि भूमि के सुधार के लिए नियमों में संशोधन कर किसानों को उनकी कृषि भूमि में उपलब्ध दो मीटर तक मोटाई की जिप्सम की परत हटाने हेतु 5 वर्ष के लिए 5 हैक्टेयर के परमिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। इससे जिप्सम से प्रभावित 8 जिलों में कृषि भूमि का सुधार होगा।

माननीय सदस्यगण!

31. विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गत तीन वर्ष में जनवरी 2017 तक 5 हजार 86 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर 22 से 24 घंटे घरेलू विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक 1 लाख 27 हजार कृषि कनेक्शन एवं 17 लाख 87 हजार घरेलू

कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। प्रसारण व वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करते हुए इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2017 तक 400 केवी का एक, 220 केवी के चार, 132 केवी के 9 ग्रिड सब-स्टेशन व 33 केवी के 143 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

32. राज्य सरकार ने उदय योजना में 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण अधिग्रहण कर विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कदम उठाया है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन से 2013-14 में 15 हजार 645 करोड़ रुपये के घाटे को कम कर 2015-16 में 11 हजार 240 करोड़ रुपये तक लाया जा चुका है।

33. राज्य के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार ने सदैव किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। हाल ही में राज्य सरकार ने उनके विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 1 सितम्बर, 2016 से बढ़ी हुई विद्युत दरों का समस्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बूंद-बूंद कृषि कनेक्शनों को 3 वर्ष में सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

34. कृषि उपभोक्ताओं हेतु सिविल लायबिलिटी की अवधि को घटा कर 2 माह किया गया है। 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 5 एच.पी. तक लोड चैकिंग में छूट दी गई है एवं बिना जांच व आवेदन के बढ़ाये गये लोड को समाप्त कर दिया है। अब कृषि कनेक्शनों का स्थानान्तरण पंचायत समिति के स्थान पर जिले में कहीं भी किया जा सकेगा। इन सबसे किसानों का सशक्तिकरण होगा।

35. गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित बिजली, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने एवं विद्युत छीजत कम करने के लिये मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान प्रारम्भ किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 2 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक व आईपीडीएस के तहत लगभग 1 हजार 300 करोड़ रुपये के काम हाथ में लिये जा रहे हैं।

36. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए किये गये नवाचार ग्रामीण गौरव पथ के प्रथम चरण में 1 हजार 972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 720 किलोमीटर लम्बाई की सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वर्ष

द्वितीय चरण में 2 हजार 86 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 98 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

37. मिसिंग लिंक सड़क योजना के तहत प्रथम चरण में 1 हजार 961 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण में 1 हजार 806 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 2 हजार 406 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया गया है तथा 4 हजार 218 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का नवीनीकरण प्रगति पर है।

38. वर्तमान सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में 15 हजार 278 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कर 1 हजार 648 गांवों व 2 हजार 633 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है।

39. आमजन को दूर-दराज के क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत 1019 नये मार्ग खोले गए हैं। राजस्थान लोक परिवहन सेवा के रूप में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज की बसों के साथ-साथ निजी बसों का संचालन प्रारम्भ कर 1 हजार 563 वाहनों के परमिट स्वीकृत किये गए हैं।

40. वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेन्स "स्मार्ट कार्ड" पर जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर महिलाओं के लर्निंग एवं चालक लाइसेन्स की फीस में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

41. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 10 हजार 30 गांवों व ढाणियों एवं 1 हजार 776 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध करवाया गया। सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु 6 हजार 554 नये नलकूप, 19 हजार 924 नये हैण्डपम्प लगाये गए एवं 7 लाख 22 हजार 546 खराब पाये गए हैण्डपम्पों को सुधारा गया।

42. वृहद पेयजल परियोजनाओं से 1 हजार 402 गांवों तथा 1 हजार 954 ढाणियों को लाभान्वित किया गया है। गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन को तत्काल राहत प्रदान की गयी है।

माननीय सदस्यगण!

43. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्णयों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों के परिणामस्वरूप राज्य की शिशु मृत्यु दर में 5 अंकों तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 6 अंकों की गिरावट आई है। संस्थागत प्रसव बढ़कर वर्ष 2015-16 में 84 प्रतिशत हो गया है।

44. ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रथम चरण में 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। योजना के द्वितीय चरण में 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

45. राज्य में 104 जननी एक्सप्रेस, 108 एम्बुलेंस सेवा एवं 104 चिकित्सा परामर्श सेवा का एकीकरण कर 15 अगस्त, 2016 से जीवनवाहिनी के नाम से "डायल एन एम्बुलेंस" सेवा प्रारम्भ की गयी है। टोल फ्री नंबर 108 व 104 पर डायल कर इन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

46. शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 10 "मदर मिल्क बैंकों" की स्थापना की जा रही है।

47. प्रदेश में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात मात्र 888 था। इसे सुधारने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन व "बेटी बचाओ" अभियान का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर योजना के तहत 10 इंटरस्टेट सहित 57 डिकाय आपरेशन किये जा चुके हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि पीसीटीएस के तहत दर्ज आंकड़ों के अनुसार राजकीय अस्पतालों में जन्म के समय बाल लिंगानुपात बढ़कर 939 हो गया है।

48. स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 दिसम्बर, 2016 से राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जिला अस्पतालों में कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच एवं परामर्श दिया जा रहा है।

49. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी एवं राजकीय स्कूलों में स्क्रीनिंग शिविर आयोजित कर गत 3 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

50. वर्तमान सरकार के गत 3 वर्ष के कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के 4 हजार 594 एवं पैरामेडिकल में लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

51. वर्तमान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर सरकारी क्षेत्र में 8 नये मेडिकल कालेज स्वीकृत किये हैं। प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिए 189 करोड़ रुपये के हिसाब से इन 8 कालेजों के लिए कुल 1 हजार 512 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। इनके निर्माण कार्यों का प्रथम चरण पूरा कर मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया से निरीक्षण की कार्यवाही करवायी जा रही है।

52. सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक हेतु मेडिकल कालेज जयपुर में 200 करोड़ तथा बीकानेर, कोटा व उदयपुर में 150-150 करोड़ रुपये सहित कुल 650 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

53. प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र तथा जटिल व असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए 33 पंचकर्म केन्द्र प्रारम्भ किये गए हैं।

54. राज्य में वर्ष 2016-17 में 12 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गए तथा 5 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गईं।

55. राज्य में संस्कृत शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा (जयपुर) को राज्य स्तरीय संस्कृत प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के चार महाविद्यालयों हेतु 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

56. शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 2 शैक्षिक सत्रों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के परिणामों में 15 प्रतिशत एवं कक्षा 12 के परिणामों में 11 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस वर्ष से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन किया जा रहा है।

57. राज्य की 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों में से 4 हजार 437 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष तक एक-एक माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने से नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 4 हजार 289 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

58. गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 92 हजार मेधावी बालिकाओं को लगभग 34 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया है। गत 2 वर्ष में मेधावी विद्यार्थियों को लगभग 43 हजार लैपटाप एवं छात्राओं को 5 लाख 36 हजार साइकिल वितरित की गईं। वर्ष 2016-17 में लगभग 28 हजार विद्यार्थियों को लैपटाप एवं लगभग 3 लाख छात्राओं को साइकिल नि:शुल्क वितरित की जा रही हैं।

59. राजकीय विद्यालयों के लगभग 54 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं लगभग 30 हजार बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है।

60. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए 132 ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम से संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों में लगभग 36 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

61. मैसूर में सम्पन्न 17वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी में आयोजित 20 प्रतियोगिताओं में से 18 में 'ए' ग्रेड के साथ राजस्थान ने सर्वोच्च अवार्ड चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैग एवं शील्ड प्राप्त कर गौरव हासिल किया है।

माननीय सदस्यगण!

62. राज्य में यूरिया व डीएपी सहित आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 16 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 6 लाख मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की गई है। इसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत 21 लाख 53 हजार मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण उपरान्त 29 लाख से अधिक किसानों को सायल हैल्थ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

63. खरीफ 2016 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। इस योजना में कृषक प्रीमियम दर खरीफ व रबी मौसम के

लिये क्रमशः दो एवं डेढ़ प्रतिशत एवं वाणिज्यिक फसलों के लिये 5 प्रतिशत रखी गयी है। इस प्रकार पूर्व की तुलना में अब किसानों को कम प्रीमियम पर अधिक बीमा लाभ मिल सकेगा।

64. वर्ष 2016-17 में राज्य में 9 हजार 983 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं फव्वारा संयंत्र स्थापित करवाये गये। हाई टेक कृषि को बढ़ावा देने के लिये 3 लाख 72 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 5 हजार 325 सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना की गयी है।

65. जयपुर जिले में बस्सी एवं चौमूं, झुंझुनूं जिले में गुढागोड़जी, प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तथा टोंक जिले में दुनी में स्वतंत्र मण्डियों के साथ-साथ बाड़मेर में विशिष्ट जीरा मण्डी स्थापित की गयी है। साथ ही विभिन्न जिलों में आठ गौण मण्डी यार्ड भी स्थापित किये गये हैं। राज्य में वर्ष 2016-17 में 283 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मण्डियों में निर्माण कार्य तथा तीन मण्डियों में एग्रोट्रेड टावर्स का निर्माण करवाया जा रहा है।

66. उदयपुर में लघु वनोपज विशिष्ट मण्डी की स्थापना से आदिवासियों के लिये वन उपज बेचना सुविधाजनक हो गया है तथा उन्हें वन उपज की प्रतिस्पर्धात्मक दरें मिलने लगी हैं। वर्ष 2016-17 में इस विशिष्ट मण्डी में 4 लाख क्विंटल से अधिक की वन उपज की आवक हुई जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यवसाय हुआ है।

67. खरीफ सम्वत 2072 में सूखे से प्रभावित 19 जिलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का फसल खराबा होने पर 14 हजार 487 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर राहत गतिविधियों का संचालन किया गया। अभाव सम्वत 2072 खरीफ में अभावग्रस्त 19 जिलों में संचालित 1 हजार 424 पंजीकृत गौशालाओं के कुल 5 लाख 5 हजार से अधिक पशुओं के लिए 146 करोड़ रुपये की राहत सहायता स्वीकृत की गई है। कृषि आदान अनुदान में 1366 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

68. रबी सम्वत 2072 में राज्य में हुई ओलावृष्टि के कारण 11 जिलों के 303 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। खरीफ सम्वत 2073 में हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 13 जिलों के 5 हजार 656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। वर्ष 2016 में दिसम्बर, 2016 तक राज्य के 24 जिलों में बाढ़ और अत्यधिक

वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों की मरम्मत हेतु 4 हजार 13 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

69. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 10 हजार 197 करोड़ रुपये के अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा लगभग 171 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया गया है।

70. वर्ष 2016-17 में उपभोक्ता क्षेत्र में 696 करोड़ रुपये से अधिक के व्यावसायिक लक्ष्यों के विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक 450 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है। वर्ष 2016-17 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर 25 मिनी सुपर मार्केट खोले गए हैं। वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 तक राजफैड द्वारा लगभग 1 लाख 33 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 24 हजार 394 मैट्रिक टन एसएसपी खाद, 36 हजार 87 मैट्रिक टन जिप्सम तथा 3 हजार 438 मैट्रिक टन बीज का वितरण किया गया है एवं 9 हजार 311 मैट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है।

71. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटेड एवं इससे सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष 2016-17 में नवम्बर, 2016 तक औसतन 23 लाख 17 हजार किलोग्राम दूध प्रतिदिन संकलित कर दुग्ध उत्पादकों को औसतन 585 रुपये प्रति किलोग्राम फैट दर से 1 हजार 819 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।

72. देश में सर्वाधिक 5 करोड़ 66 लाख पशुधन राजस्थान में हैं। राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 2 करोड़ 4 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में 877 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है। देशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए डग (झालावाड़) में मालवी गौ-नस्ल प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है।

73. वर्तमान सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में जल संसाधन क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वर्ष 2016-17 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर जनवरी 2017 तक लगभग 1 हजार 238 करोड़ की राशि व्यय की गयी है। महत्वाकांक्षी परवन वृहद् बहुउद्देश्यीय

परियोजना पर वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक लगभग 699 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

74. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट योजनाओं के 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति के कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

75. सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता की प्रगतिरत विभिन्न परियोजनाओं पर वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 41 हजार 574 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

76. सरस्वती एवं सहायक नदियों के पुरामार्ग (पेलियो चैनल) के अन्वेषण एवं अनुसंधान क्षेत्र के भूजल संसाधनों की उपलब्धता के आकलन सहित भूजल विकास तथा पुनर्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 25 हजार वर्ग किलोमीटर में भूजल अन्वेषण एवं अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण!

77. चौदहवें वित्त आयोग एवं पांचवें राज्य वित्त आयोग में 3 हजार 621 करोड़ से अधिक राशि पंचायती राज संस्थाओं को सीधी हस्तानान्तरित कर दी गयी है।

78. राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत देश में सर्वाधिक रोजगार व श्रम के अवसर प्रदान करते हुए 4 हजार 400 करोड़ रुपये व्यय कर 43 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया एवं 21 करोड़ 47 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। ग्रामीणों की आजीविका वृद्धि के लिए 1 लाख 75 हजार व्यक्तिगत लाभ के कार्य किये जा रहे हैं।

79. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनुदान राशि 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 48 हजार रुपये करते हुए वर्ष 2016-17 में 2 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

80. राजीविका परियोजना के तहत 114 ब्लाक्स में 58 हजार 400 महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर 6 लाख 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

81. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-17 में नवम्बर, 2016 तक लगभग 559 करोड़ रुपये व्यय कर आधारभूत संरचनाओं के 9 हजार 472 कार्य करवाये गये हैं।

82. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में शौचालय निर्माण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2016-17 में अब तक लगभग 1 हजार 387 करोड़ रुपये व्यय कर 22 लाख 58 हजार व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण सहित कुल 53 लाख 46 हजार शौचालय बनाये जा चुके हैं। अब तक कुल 4 हजार 432 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।

83. अब तक बीकानेर, अजमेर, चूरू, झुंझुनूं तथा पाली जिले की सभी ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।

84. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में डूंगरपुर व देवली (टोंक) को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए 1 लाख 93 हजार 786 स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा अब तक 89 हजार 518 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण!

85. आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ती व सुनियोजित कालोनियों में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मुख्यमंत्री जन आवास योजना" के अन्तर्गत 80 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किये गए हैं।

86. अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 15 दिसम्बर, 2016 से 12 नगरीय निकायों में 80 अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण व पौष्टिक नाश्ता 5 रुपये में एवं भोजन 8 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

87. राज्य के नगर निकायों में एल.ई.डी. लाइट योजनान्तर्गत देश में सर्वाधिक 5 लाख 41 हजार एल.ई.डी. लाइटें लगाने के उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार ने राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2016 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है।

88. आमजन को बैंकिंग, भामाशाह कार्ड तथा आधार कार्ड से सम्बन्धित सेवाएं और जनसमस्या निराकरण आदि सहित सभी सरकारी सुविधाएं अटल सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अटल सेवा केन्द्रों एवं 40 हजार से अधिक ई-मित्र कियोस्कों पर 272 से अधिक सेवाएं

उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजनेट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

89. डिजिटल राजस्थान की अवधारणा को आमजन की पहुंच में लाने के लिए राजकीय सेवाएं मोबाइल एप के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

90. ई-गवर्नेंस और आई.टी. क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

91. उदयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

92. विशेष योग्यजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं से लगभग 59 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भामाशाह योजना से जोड़ते हुए लगभग 55 लाख 50 हजार पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। पालनहार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2016 तक 152 करोड़ रुपये व्यय कर 2 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

93. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 422 करोड़ रुपये व्यय कर 2 लाख 66 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य में 19 आवासीय विद्यालयों व 790 छात्रावासों के माध्यम से लगभग 40 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

94. देवनारायण योजना के अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत गत 3 वर्ष में लगभग 381 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग की 3 हजार 210 छात्राओं को स्कूटी, 1 हजार 439 को प्रोत्साहन राशि व 5 हजार 428 विद्यार्थियों को गुरुकुल योजना में छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया।

95. दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक संख्या में दिए गए ऋणों के लिये राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2016 तक 4 हजार 434 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

96. जनजाति क्षेत्रीय विकास के तहत कुल 333 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 21 हजार, 397 छात्र-छात्राओं एवं 25 आवासीय विद्यालयों में 5 हजार 739 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सहरिया एवं कथोड़ी परिवार के 47 हजार से अधिक बच्चों को 1 हजार 596 मां-बाड़ी केन्द्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

97. वर्ष 2016 में 3 हजार 707 हाजियों को सफलतापूर्वक हज-यात्रा सम्पन्न करवायी गयी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 181 करोड़ रुपये के 845 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

98. वर्ष 2016-17 में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। अब तक 3 लाख 57 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रथम किस्त दी जा चुकी है।

99. भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन में देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में झुंझुनूं जिले को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया है।

100. किराये के भवनों में संचालित 1000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में 70 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव के लिये 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जून, 2016 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका एवं सहयोगिनी को बढे हुए मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

101. राज्य सरकार बाल अधिकारों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। राज्य में 1 हजार 815 विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब गठित कर लगभग 1 लाख 82 हजार बच्चों को बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। बालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 23 जिलों में चाइल्ड हैल्प लाइन "1098" संचालित की जा रही है।

102. प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

103. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी तक 59 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन तथा 176 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-स्टाम्प व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

माननीय सदस्यगण!

104. डोडा पोस्त व्यसनियों को नशे की आदत से मुक्त कराने हेतु "नया सवेरा" योजना के तहत वर्ष 2016-17 में दिसम्बर तक 187 नशा-मुक्ति शिविरों का आयोजन किया गया।

105. राज्य में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है। गत 2 वर्ष में आई.पी.सी. अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी आयी है। राजस्थान पुलिस आन्तरिक सुरक्षा, नागरिक प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका को जिम्मेदारी से निभा रही है।

106. पहली बार केन्द्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण केन्द्रों का सहयोग लेते हुए राज्य में 12 हजार पुलिस कांस्टेबलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। पुलिस परफारमेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रदेश के सभी 861 थानों का मासिक मूल्यांकन किया जा रहा है एवं जिलों की भी मासिक रैंकिंग तय की जा रही है इसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

107. वर्ष 2016 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अब तक सर्वाधिक 35 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया है, जिससे लम्बित प्रकरण अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गये हैं।

108. राजस्थान की पुलिस ब्रास बैंड ने बीएसएफ के साथ 16वीं अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिता में तथा राजस्थान पुलिस ने अखिल भारतीय कमाण्डो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

109. वर्ष 2016 में लोक अदालत, विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 2 लाख 16 हजार 245 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरणों में लगभग 322 करोड़ 32 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

110. न्याय विभाग की लाइट्स वेबसाइट में विभिन्न विभागों द्वारा अक्टूबर, 2014 से अब तक 1 लाख 22 हजार 422 नये प्रकरण दर्ज कर कुल 3 लाख 16 हजार 364 दर्ज प्रकरणों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

111. पुष्कर मेले के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 24 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की। इस कार्य के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नगर अजमेर का सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर चयन कर सम्मानित किया है।

112. जुलाई-अगस्त, 2016 में बाढ़ के दौरान 5 जिलों में 8 हेलीकाप्टर आपरेशन कर कुल 97 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया है। साथ ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरएसी, स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा के सहयोग से कुल 1 हजार 501 व्यक्तियों को भी बाढ़ के दौरान बचाया गया।

113. टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के पास रहने वालों को वैकल्पिक ईंधन स्रोत उपलब्ध कराकर महिलाओं को चूल्हे के धुएं से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने हेतु वर्ष 2016 को "जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना" लागू की गई है। इसमें लक्षित गांवों के सभी परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

114. राज्य के पुरातत्व स्मारकों, प्रमुख किलों, गुम्बदों, छतरियों एवं बावड़ियों के संरक्षण एवं विकास कार्यों के साथ-साथ 10 राजकीय संग्रहालयों के पुनरोद्धार का कार्य प्रगति पर है।

115. राजस्थान की गौरवशाली ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को आम जन तक पहुंचाने हेतु प्रारम्भ किये कार्यों की निरन्तरता में दौसा में संत सुंदरदास पेनोरमा, बारां में हाड़ौती पेनोरमा, झालावाड़ में पीपाजी पेनोरमा, चित्तौड़गढ़ में संत रैदास पेनोरमा, जोधपुर में पाबूजी पेनोरमा कोलू, डूंगरपुर में कालीबाई पेनोरमा मांडवा, राजसमन्द में महाराणा राजसिंह पेनोरमा व पन्नाधाय पेनोरमा, कमेरी, अलवर में हसन खां मेवाती पेनोरमा, अजमेर में संत नागरीदास का पेनोरमा किशनगढ़, उदयपुर में बप्पारावल का पेनोरमा, मठाठा, जालौर में महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पेनोरमा भीनमाल और टोंक में धन्ना भगत पेनोरमा, धुंआकलां के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

116. पर्यटन क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए इन्ट्रास्टेट हवाई सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। वर्तमान में इन्ट्रास्टेट

हवाई सेवाएं जयपुर से जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर के लिए संचालित की जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें बैंकांक व सिंगापुर के लिए संचालित की जा रही हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित राज्य स्वामित्व की हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्तार का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

117. राज्य के विभिन्न धर्मस्थलों के विकास हेतु लगभग 38 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्यक्ष प्रभार के 34 मंदिरों हेतु 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है व 96 अन्य प्रमुख राजकीय मंदिरों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की गयी है। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत 10 हजार यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है।

118. लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ मीडिया के प्रति सरकार संवेदनशील है। मेडिक्लेम पालिसी के तहत वर्ष 2016-17 में 451 अधिस्वीकृत पत्रकारों की 90 प्रतिशत प्रीमियम राशि 1 करोड़ से अधिक रुपये बीमा विभाग को उपलब्ध कराए गए। समूह दुर्घटना बीमा के तहत 451 पत्रकारों को 75 प्रतिशत राशि के अंशदान के रूप में 1 लाख 68 हजार रुपये बीमा विभाग को जमा कराए गए।

119. पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों को अधिस्वीकृत पत्रकारों के चिकित्सा बिलों का भुगतान किया गया। अधिस्वीकृत पत्रकारों को गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए एवं मृतक पत्रकार के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

120. समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संभाग, जिला, तहसील व ग्राम पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम निर्माण का प्रावधान रखा गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 10 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिले खेल भवन एवं उदयपुर में 14 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 स्थानों पर स्टेडियम एवं खेल मैदानों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 88 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

121. राज्य के खिलाड़ियों ने वर्ष 2016-17 में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 26 एवं राष्ट्रीय स्तर पर 93 पदक प्राप्त किये। रियो पैरा ओलम्पिक

2016 में देवेन्द्र झांझडिया ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं उनकी इस उपलब्धि पर राज्य सरकार ने 75 लाख रुपये का पुरस्कार स्वीकृत किया है। रियो ओलम्पिक 2016 में राजस्थान की अपूर्वी चन्देला ने शूटिंग में, श्रीमती सपना पूनिया तथा खेताराम ने एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विभिन्न खेलों के 1 हजार 576 खिलाड़ियों को लगभग 9 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान आनलाइन ट्रांसफर किया जा चुका है।

122. माननीय सदस्यगण ! इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

- राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017
- भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
- राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
- निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
- राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017
- राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017
- राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017

123. राजस्थान के इस सदन की शानदार परम्पराएं रही हैं। राजस्थान की जनता आप सभी के प्रति आशा और विश्वस संजोए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए सभी पहलुओं पर सामंजस्य की भावना से विचार-विमर्श करें और ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिस पर चलकर हम एक ऐसे समृद्ध राजस्थान का निर्माण करने में सफल हों जहां प्रदेश के समस्त नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने के सभी अवसर सुलभ हो सकें।

124. आइए ! हम सब इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एकमत होकर राज्य की जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक उत्थान में भागीदार बनें और राजस्थान की आन-बान और शान में श्रीवृद्धि करें।

जय हिन्द!